प्रेस विज्ञप्ति

04/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल और उनके पुत्र राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश मंडल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष 30.11.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 30.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा भा.दं.सं., 1860 और आयुध अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल और राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश मंडल के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और इन आपराधिक गतिविधियों के जरिए उसने बड़ी अचल संपत्ति अर्जित की है।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल ने अपने बेटे राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश मंडल के साथ मिलकर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से अर्जित नकदी से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 62 लाख रुपये की अचल संपत्ति अर्जित की।

जांच के दौरान, एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसमें नौगछिया , भागलपुर में स्थित कृषि भूमि के रूप में 62 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया, जिसे निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित किया था, जिसकी पुष्टि बाद में 11.01.2024 को विद्वान न्याय-निर्णयन प्राधिकारी (पीएमएलए), नई दिल्ली द्वारा की गई।